न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 57/2020 अपील/प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00060)
पंजीयन दिनांक– 04.08.2020
निर्णय दिनांक– 14.01.2021

धारजी पिता कचरू भील निवासी रेणदा मृतक के बजायः–

1. श्री सत्यनारायण पिता धारजी भील, निवासी रेणदा, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री शंभूलाल पिता धारजी भील, निवासी रेणदा, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री मणीलाल पिता धारजी भील, निवासी रेणदा, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. कल्या पुत्री धारजी भील, निवासी रेणदा, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. नर्बदा पुत्री धारजी भील, निवासी रेणदा, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. नाथी पत्नि धारजी भील, निवासी रेणदा, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... **अपीलान्ट्स**

बनाम

कोयरी पत्नि बाबूलाल मीणा निवासी कटारों का खेडा बी, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....**रेस्पोडेन्ट**

अधिवक्ता :

श्री नरेश जणवा : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री पी.सी. पालीवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 38/2010 निर्णय दिनांक 28.02.2012

निर्णय

दिनांक–14.01.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 38/2010 निर्णय दिनांक 21.02.2012 के विरूद्ध दिनांक 28.07.2020 को मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा जिला बांसवाडा द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थी को राजस्व ग्राम कटारों का खेडा (बी), तहसील पीपलखूंट की साबिक आराजी नम्बर 152/35/1 रकबा 8 बीघा का आवंटन किया गया जिसके सेटलमेंट के बाद नवीन आराजी नम्बर 292, 293, 296, 297, एवं 534/288 किता 05 रकबा 1.30 हैक्टेयर कायम किये गये है, जो अपीलांट्स/अप्रार्थी को दिनांक 17.07.1984 को आवंटित की गई थी व पत्र दिनांक 2149–51 दिनांक 17.07.1984 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा ने कब्जा देने के आदेश दिये। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन दिनांक 02.09.2009 को प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.2010 को दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 38/2010 निर्णय दिनांक 21.02.2012 से अपीलांट्स/अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कर उक्त आराजी को सिवायचक (बिलानाम) दर्ज करने का निर्णय पारित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स/अप्रार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः– *" हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया प्रकरण का संक्षेप में वृतांत है कि ग्राम कटारों का खेडा, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 01.07.1984 मुकाम सोडलपुर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नम्बर 35/1 रकबा 8 बीघा धारजी पिता कचरू जाति भील निवासी रेणदा को आवंटन की गई थी जिसके आधार पर नामंतरण संख्या 62 द्वारा आवंटी धारजी पिता कचरू मीणा को गैर खातेदार दर्ज कर दिया ओर चालू जमाबंदी सम्वत् 2063–66 से खाता सख्या 13 पर धारजी पिता कचरू*

भील सा. रेणदा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 292 रकबा 0.24, 293 रकबा 0.21, 296 रकबा 0.22, 297 रकबा 0.21 व 534/288 रकबा 0.42 कुल किता 5 रकबा 1.30 हैक्टेयर पर खातेदार दर्ज है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक हाल स्थिति इस प्रकार है:–

गत		हाल	
आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
35/1	8 बीघा	292	0.24
		293	0.21
		296	0.22
		297	2.21
		534/288	0.42
		योग	1.30 हैक्टेयर

प्रार्थी ने इस न्यायालय में इस आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम पेश किया है कि विवादित आराजी किस्म मंगरी है जिसे आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन के समय आवंटी/अप्रार्थी भूमिहीन नही था धोखा व कपटपूर्ण आवंटन कराया है, उक्त आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा वर्षो से चला आ रहा है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के तथ्यों को अस्वीकार किया है। आवंटी ने आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र में स्वयं के नाम ग्राम रेणदा में 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि होना दर्शाया है। पटवारी हल्का ने भी धारजी के खाते 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि होना बताया है जबकि ग्राम रेणदा की जमाबंदी सम्वत् 2033–36 के खाता सख्या 9 में रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा में हिस्सा 1/5 के अनुसार धारजी के हिस्से में 5 बीघा 14 बिस्वा आती है। इसी प्रकार ग्राम सेमलिया की जमाबंदी सम्वत् 2033–36 के खाता संख्या 34 पर 5 बीघा 17 बिस्वा में धारजी का हिस्सा 1/5 दर्ज है जिसमें धारजी के हिस्से में 1 बीघा 3 बिस्वा होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारजी ने प्रार्थना पत्र में केवल 6 बीघा 1 बिस्वा ही अपनी खातेदारी में होना बताया है जबकि उक्त राजस्व रेकार्ड के अनुसार अनुसार अन्य भूमि भी उसके खाते में उस समय मौजूद थी।

तहसीलदार पीपलखूंट के अपने पत्र क्रमांक एफ. राजस्व/08/2026 दिनांक 20.11.2008 द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाई है जिसके अनुसार धारजी पिता कचरू का इस विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। ग्रामवासियों का भी इस आवंटन का पता 4 साल

पहले चला है। इस प्रकार धारजी पिता कचरू ने यह आंवटन धोखे से व कटपपूर्ण कराया है। स्वयं के नाम उस समय खातेदारी में थी उसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। अप्रार्थी धारजी का कथन है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर 14(4) आवंटन नियम के तहत निरस्त नही हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है, प्रार्थीया के वकील ने यह नजीर RRT 2005 (1) Page 634 *पेश कर तर्क दिया कि यदि आवंटन कपट द्वारा प्राप्त किया है तो खातेदारी मिलने के बाद भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः मैं यह उचित मानता हूँ कि इस प्रकरण में विवादित आराजी का अप्रार्थी को आवंटन धोख व कपटपूर्ण तरीके से हुआ है। और तहसीलदार व राजस्व अधिकारियों के मौका पर्चा से साबित है कि इस आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नही रही।*

उक्त विवेचन के अनुसार ग्राम कटारो का खेडा, पटवार मण्डल सोडलपुर, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 292 रकबा 0.24, 293 रकबा 0.21, 296 रकबा 0.22, 297 रकबा 0.21 व 534/288 रकबा 0.42 कुल किता 5 रकबा 1.30 हैक्टेयर में अप्रार्थी धारजी पिता कचरू जाति मीणा निवासी रेणदा का किया गया आवंटन दिनांक 01.07.1984 निरस्त किया जाता है। उक्त आराजी को सिवायचक (बिलानाम) दर्ज करने बाबत तहसीलदार, पीपलखूंट को लिखा जावें।"

उक्त आदेश/निर्णय के क्रम में अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स/अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नेरश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री पी.सी. पालीवाल उपस्थित हुए। वकील रेस्पोडेंट द्वारा दफा 5 जाप्ता मियाद का जवाब भी पेश किया गया। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.01.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स/अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि रेस्पोडेंट कोयरी जो अपीलांट व उसके पिता से द्वेषता रखती है के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त भूमि पर वह काबिज है और अपीलांट काबिज नहीं है और उसके लिए उसने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, अरनोद में अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 14.04.2008 को पेश किया जिसमें तामिल हुई और बाद में उक्त वाद को न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया तो कोयरी के द्वारा पुनः एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट के समक्ष दिनांक 23.06.2011 को पेश किया जिसको न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.08.2017 को खारिज कर दिया। इसी दरमियान रेस्पोडेंट कोयरी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता के द्वारा जाल साजी करके आवंटन करवाया है जिसको निरस्त किया जावे और उक्त बात को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मानकर के अपीलांट के पिता के नाम हुए आवंटन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आवंटन कपट पूर्वक प्राप्त किया गया था और आवंटन निरस्त कर दिया जिसके बारे में जानकारी अपीलांटगण व उसके पिता को नहीं थी क्योंकि अपीलांट के पिता वृद्ध होकर के अंग शैथिल्य थे जिसके कारण वे लम्बे समय तक बीमार रहकर के अंत में 03.04.2019 को उनकी मृत्यु हो गई और घर की सफाई में तारीख पेशी की पर्ची देखी व अधिवक्ता की जानकारी हुई और उनसे संपर्क किया तो पता चला की उक्त प्रकरण का निर्णय न्यायालय के द्वारा 21.02.2012 को कर दिया है और इस प्रकार विधि में दोनो कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती है और इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने यह जानते हुए की उक्त भूमि बाबत वाद सक्षम न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विचाराधीन है और उनके द्वारा उक्त प्ररकण में कोई निर्णय पारित नहीं कर सकते थे बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जो विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि उक्त आवंटन प्रार्थी ने आवंटन प्रार्थना पत्र में अपने नाम 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि का अंकन किया है और इसके अलावा भी उसके पास ग्राम रेणदा में खाता संख्या 1 में 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि में उसका 1/5 हिस्सा दर्ज है और खाता संख्या 34 में 5 बीघा 17

बिस्वा में से 1/5 हक हिस्सा अंकित है जिसमें धारजी का 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि होती है और इस प्रकार उसने आवंटन सलाहकार समिति से वास्तविकता छिपाकर के धोखे से व कपट से आवंटन करवाना लिखा है जिसको निरस्त किया जाना चाहिए और आवंटन निरस्त कर दिया जबकि वास्तविकता यह है कि धारजी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता है और यह मान भी लिया जावे कि उसने अपने प्रार्थना पत्र में पूर्ण जानकारी नहीं दी थी तो भी उसकी संपूर्ण भूमि को एकत्रित कर लिया जावे तो भी धारजी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में ही आता है क्योकिं रेस्पोडेंट के कहे अनुसार उसके खाते में कुल भूमि 13 बीघा व 17 बिस्वा भूमि आती है और 8 बीघा भूमि उसको आवंटित की गई थी इस प्रकार उसके पास कुल 21 बीघा व 17 बिस्वा भूमि बनती है और विधि अनुसार नियम 12 के तहत "**आवंटन की जाने वाली भूमि मात्र 10 एकड से अधिक नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किये जाने वाला कुल क्षेत्रफल आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्रफल अथवा उसके काल्पनिक हिस्से सहित यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा धारित हो 10 एकड से अधिक नहीं होगी।**" जबकि उक्त प्रकरण में धारजी की संपूर्ण भूमि उपरोक्तानुसार 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि बनती है जो निर्धारित रकबे से कम है ऐसे में यह नही माना जा सकता है कि धारजी के द्वारा छल कपट से निर्धारित मात्रा से अधिक भूमि अपने नाम आंवटित करवा ली हो और वह भूमिहीन काश्तकार नहीं हो जो मानने योग्य नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मानकर कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार उसके नाम पर अन्य भूमि भी दर्ज थी और इस प्रकार धारजी को धोखा व कपट पूर्ण तरिके से आवंटन करवाया है जो न्यायालय ने तथ्य व विधि की भूल से आवंटी अर्थात धारजी को निर्धारित रकबे से अधिक भूमि मानकर के उसके आंवटन को निरस्त कर दिया है जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों के मौका रिपोर्ट के आधार पर माना है कि उक्त भूमि पर कभी भी धारजी का कब्जा नहीं रहा है मान करके आवंटन खारिज कर दिया जो की मानने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त भूमि आवंटित होने के बाद धारजी को उक्त भूमि का भौतिक कब्जा विधि अनुसार दिया गया था और उसी क्रम में धारजी उक्त भूमि पर काबिज होकर के उक्त भूमि को काश्त के अनुरूप बनाकर के उसको विकसित किया और उसे

आबाद किया और उसके बाद में उक्त भूमि पर धारजी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और खातेदारी अधिकार प्रदान करने के पूर्व भी पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट भी बनाई उसके आधार पर ही उसको खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और धारजी के खातेदारी अधिकार भी पूर्णतया प्राप्त हो चुके है जिसको भी काफी अरसा हो गया है उक्त बात की ताईद खसरा रिपोर्ट से व मौका के फोटोग्राफ से व गांव के मौतबिरान के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर धारजी काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटगण उस पर काबिज होकर के काश्त का रहै है तथा इसके अलावा भी विधि यह उपबधित करती है कि किसी की भूमि पर किसी का कब्जा कितने ही समय से हो तो भी उस भूमि पर वह ट्रेसपासर ही रहता है उस पर उसे खातेदारी अधिकार नही मिल सकते है और उसको किसी भी समय हटाया जा सकता है। विधि की यह धारणा है कि जब आवंटी को आवंटन शुदा भूमि पर खातेदारी अधिकार मिल जाते है तो उसके बाद उसके आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है और उस पर आवंटन नियम लागू नही होकर के उस पर काश्तकारी अधिनियम लागू हो जाता है और उसको काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता है उसके बिना उसको उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। आवंटन को 27 वर्ष हो चुके है और 27 वर्ष तक वह सही था तो बाद में वह गलत नही हो सकता है अर्थात इतने पुराने आवंटन को विधिक रूप से प्रक्रियात्मक त्रुटी से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसी रिपोर्टो को आधार मानकर के अपना आदेश पारित किया जिनमें अपीलांट पक्षकर नहीं थे और जो रिपोट अपीलांट की अनुपस्थिति में बनी हुई है जिसमें मौका रिपोर्ट से अपीलांट अनभिज्ञ है और ऐसी रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विश्वास करके आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट कोयरी उक्त प्रकरण में पीडित पक्षकार नहीं है और वह उक्त प्रकरण में स्टेंजर पक्षकार है उसको उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसके प्रार्थना पत्र में उक्त बात को तय किये बिना ही उक्त प्रकरण में आदेश पारित करके भारी विधिक भूल की है उसको उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन से पूर्व यह बात से भली प्रकार से संतुष्ट हो जाना चाहिए था

कि उसको उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है और नही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र ही रेस्पोडेंट ने पेश किया हो जिसके आधार पर उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने के पूर्व न्यायालय से परमिशन ली हो बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक सिद्धान्त को नजर अंदाज करके निर्णय पारित करने में भारी विधिक व कानूनी भूल की है और भूल करके जो आदेश परित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार विधिक बिन्दुओं को नजर अंदाज करके विधि विरूद्ध जो आदेश पारित किया जाता है उसमें मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है उसको किसी भी समय किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। आवंटन राज्य सरकार करती है और बिना राज्य सरकार को पक्षकार बनाये अर्थात बिना तहसीलदार को पक्षकार बनाये 14(4) के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक बिन्दु को नजर अंदाज करते उक्त आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2014 (2) PAGE 1150, RRT 2017 (1) PAGE 480, RRT 2003 (2) PAGE 921, RRT 2007 (1) PAGE 327, RRT 2008 (2) PAGE 834, RRT 2007 (2) PAGE 1081, RRT 2007 (2) PAGE 1240, RRT 2006 (2) PAGE 1171, RRT 2009 (1) PAGE 220, RRT 2009 (1) PAGE 453, RRT 2011 (2) PAGE 1144, RRT 2007 (1) PAGE 728, RRT 2009 (1) PAGE 467 एवं SSC 2004 (8) PAGE 706 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने विवादित आराजी की किस्म जमीन मंगरी है, जो काबिल आवंटन नही है। यह आवंटन धोखा व कपटपूर्ण तरीके से हुआ है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद भी ऐसा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आराजी अधिक हो तो आवंटन नही किया जा सकता है। अपील अपीलांट्स पूर्णतया बेरून मयाद है, इसी आधार पर खारीज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

प्रकरण में दिनांक 24.12.2020 को अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का आवेदन पेश कर खसरा गिरदावरी सम्वत् 2058 से 2061, एक मौके का फोटोग्राफ तथा नाथी पति धारजी, सत्यनारायण पिता धारजी, जीवा पिता गांगजी, कालुराम पिता अर्जुन एवं धनजी पिता भुरूलाल के शपथ पत्र पेश कर उन्हें रेकर्ड पर लिया जाने का निवेदन किया। मूल बहस दिनांक को ही इस आवेदन पर उभयपक्ष

की बहस सुनी गई प्रकरण में राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2058 से 2061 राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति होने एवं सुसंगत होने से उसे रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। पेशशुदार एक फोटोग्राफ किस आराजी का है, कब खिचा व उसकी सीडी व आराजी नम्बर अस्पष्टता होने से उसे रेकर्ड पर नहीं रखा जा सकता। पेशशुदा शपथ पत्र इस संक्षिप्त कार्यवाही के संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है अतएवं इन शपथ पत्रों को भी रेकर्ड पर रखने की अनुज्ञा नही दी जा सकती। उपरोक्तानुसार अपीलांट के आवेदन आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का निस्तारण किया जाता है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में वकील अपीलाण्ट द्वारा मियाद आवंदन में यह वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन निरस्त की जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं थी क्योंकि सभी कार्यवाहियां अपीलाण्ट्स के पिता व पति धारजी ही करवा रहे थे। धारजी की मृत्यु दिनांक 03.04.2019 को हो गयी है, उसके बाद अपीलाण्ट द्वारा अपने पिताजी के पुराने कागजात अपने घर की सफाइ में देखे तो तारीख पेशी की पर्ची व अधिवक्ता की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 20.07.2020 को प्रतापगढ़ न्यायालय परिसर में जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क किया। जिस पर उन्होंने प्रकरण पुराना होकर 21. 07.2020 को न्यायालय में आकर पता करने के लिए कहा जिस पर पुनः अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय में जाकर अधिवक्ता से जानकारी की, तब आवंटन निरस्ती आदेश दिनांक 21.02.2012 की जानकारी हुई तथा अन्दर जानकारी मियाद से विधिक राय प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की, जिसकी ताइद में शपथ–पत्र भी दिया। इस मियाद आवेदन का जबाब रेस्पोंडेण्ट द्वारा देते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में दिनांक 16.06.2010 को धारजी ने स्वयं उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया व दिनांक 17.06.2011 को जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कराया है एवं दिनांक 19.01.2012 को दोनों पक्षों की बहस सुनी और दिनांक 21.02.2012 को अधिवक्ता उभय पक्ष की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया जिसकी जानकारी पक्षकारों एवं उनके परिवार के व्यक्तियों को चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के 09 वर्ष तक धारजी जिन्दा रहे, जिनके द्वारा कोई अपील

प्रस्तुत नहीं की गयी क्योंकि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अपने आपको प्रभावित नहीं होना मान लिया था। प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता का नाम प्रकट नहीं किया गया और अपील को देरी से प्रस्तुत किये जाने का उचित एवं युक्तियुक्त कारण वर्णित नहीं किया है। अपील अंदर मियाद पेश नहीं हुई है। अपील में मियाद को क्षम्य किये जाने का कोई आधार नहीं है। धारजी द्वारा अपने जीवनकाल में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं रहा है। अपीलाण्ट द्वारा दिन–प्रतिदिन का मियाद क्षम्य का कोई उचित, युक्तियुक्त एवं सद्भावपूर्ण कारण उल्लेखित नहीं किया है।

प्रकरण में मियाद आवेदन पर उभय पक्षों के कथनोपकथन, लिखित एवं मौखिक पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट द्वारा आवंटन निरस्तगी हेतु आवेदन दिनांक 02.09.2009 को पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.2010 को दर्ज किया। दिनांक 16.06.2010 को आदेशिका पर धारजी के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 16.06.2010 को वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलाण्ट धारजी द्वारा दिनांक 17.06.2011 को जबाब दावा पेश किया है तथा प्रकरण में दिनांक 01.02.2012 की लिखित बहस भी धारजी की ओर से पत्रावली में उपलब्ध है। दिनांक 19.01.2012 को उभय पक्ष की उपस्थिति में बहस सुनी गयी तथा दिनांक 21.02.2012 को वकील उभय पक्ष की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। धारजी एक आवंटी था एवं उसके आवंटन निरस्ती का आदेश दिनांक 21.02.2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण एवं प्रक्रियागत सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है जिसकी अपील की समयावधि 2 माह होकर दिनांक 20.04.2012 तक इसकी अपील प्रस्तुत की जानी थी। धारजी आवंटी द्वारा इसकी कोई अपील अपने जीवनकाल में प्रस्तुत नहीं की गयी है व जैसाकि धारजी की मृत्यु दिनांक 03.04.2019 को हो गयी है तथा इस हेतु उसका मृत्यु प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया है, अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय वर्ष 2012 के बाद लगभग 7 वर्ष तक धारजी जिन्दा रहा है एवं 7 वर्षों में धारजी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। धारजी जो कि आवंटी था तथा उनके द्वारा 7 वर्षों तक इस प्रकरण में /अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई तार्किक आधार,

युक्तियुक्त प्लीडिंग व साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अर्थात् इसका निहितार्थ यह होता है कि आवंटी धारजी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके आवंटन को निरस्त किये जाने की अपील के अपने अधिकार को अवसायित कर दिया क्योंकि 07 वर्ष के दीर्घकाल तक आवंटी द्वारा अपने आवंटन निरस्ती की अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने को अन्यथा किसी रूप में स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है, अर्थात् धारजी का आवंटन उन्हें व्यक्तिगत क्षमता में किया गया था एवं उनके अपील करने का अधिकार बेरून मियाद भी हो चुका है तथा उनके वारिसान द्वारा उनकी मृत्यु पश्चात् जो अपील प्रस्तुत की गयी है, वह अधिकार जब धारजी को ही उपलब्ध नहीं है तो धारजी के वारिसान को उक्त अधिकार प्राप्त होने अथवा माने जाने का कोई विधिक उपधारणा नहीं ली जा सकती। धारजी को आवंटन व्यक्तिगत क्षमता में किया गया था एवं जब धारजी भी 07 वर्ष तक उनके आवंटन निरस्ती की अपील प्रस्तुत नहीं की एवं अपील बेरून मियाद हो गयी तो उसके वारिसान को अपील प्रस्तुत करने के अधिकार प्रोधभूत होना ही विधिसम्मत् प्रतीत नहीं हाता। अपीलाण्ट द्वारा जो भी आधार दिये गये हैं वे 07 वर्षों की अवधि को क्षम्य किये जाने अथवा उनकी अपील प्रस्तुत किये जाने के अधिकारों पर आख्या नहीं करता। अतः अपील प्रथम दृष्टया ही बेरून मियाद है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स द्वारा मियाद के बिन्दु पर न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की है, उन पर हमारे विवेकानुसार टिप्पणी निम्नानुसार है –

1. आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 728 में यह विवेचना है कि जो डिक्री शुन्य है वह किसी भी स्तर पर आक्षेपित की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधि के आलोक में अपने प्रेक्षणों के आधार पर आवंटन निरस्ती का आदेश पारित किया है अतएवं ऐसे आदेश को शुन्य माने जाने का कोई आधार नहीं है एवं तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।
2. अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 467 प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि मृतक खातेदार वारिसान/उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है इसलिए विलम्ब माफ किया जाना चाहिये। इस प्रकरण में खातेदार के जीवनकाल में निर्णय हुआ है तथा उसके स्वयं के द्वारा 07 वर्षों तक अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा उसके जीवनकाल में जबकि वह आवंटी है तथा उसके वारिसान का उसके जीवनकाल में कोई

हक होने का आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में आवंटी गैर खातेदार के जीवनकाल में उसके वारीसान को सुने जाने का कोई तर्क व आधार उपलब्ध नहीं है, अतएवं तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

3. अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर एस.एस.सी. 2004 (8) पेज 706 प्रस्तुत की जिसमें यह वर्णित किया गया हे कि वोइड डिक्री और ईल लीगल, इन करेक्ट और इन रेगुलर डिक्री को किसी भी समय, किसी भी स्तर पर चेलेन्ज दिया जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैसा हमारे द्वारा उपर विवेचन किया गया है, तथ्यों व विधि के अनुक्रम में अपना आदेश पारित किया है, अतएवं उक्त आदेश को वोइड डिक्री और ईल लीगल, इन करेक्ट और इन रेगुलर आदेश नहीं कहा जा सकता, अतएवं यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

इसके विरूद्ध वकील रेस्पोंडेण्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (14) 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 2007 प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि उचित, संतोषप्रद एवं पर्याप्त आधार के बिना मियाद कण्डोन नहीं की जानी चाहिये। वकील रेस्पोंडेण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर जो इसी न्याय सिद्धान्त पर आधारित है, 2010 (2) आर.आर.टी. पेज 801, 2011(2) आर.आर.टी. पेज 851 प्रस्तुत की है तथा ए.आई.आर. 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 2776 प्रस्तुत की है। इन सभी में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मियाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित, पर्याप्त एवं तार्किक आधार होने चाहिये।

प्रस्तुत प्रकरण में हम अपीलाण्ट के पिता आवंटी के जीवनकाल में 7 वर्षों तक भी उनके द्वारा आवंटन निरस्ती के प्रकरण की अपील नहीं किये जाने एवं अब अपीलाण्ट (आवंटी के वारिसान) द्वारा उनके पति व पिता के आवंटन निरस्ती प्रकरण की अपील प्रस्तुत किये जाने को पूर्णतः बेरून मियाद मानते हैं, अतएवं अपील अपीलाण्ट्स बेरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर